Mr. Speaker: I would reques Shri Hem Barua that if he has also got any grievance, then he may also write to me.

Shri Hem Barua: May I make a submission to you?

Mr. Speaker: He may kindly write to me.

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : बिहार में गुंडा राज्य के सम्बन्ध में मैं ने . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं ने एक नोटिस दिया था कि छम्ब जोनिया में 7000 पाकिस्तानी घुस गये हैं । उस क्षेत्र के एस० एल० ए० ने तार दिया है । मैं ने वह तार भी भेजा है . . .

अध्यक्ष महोदय : मि० कछवाय, इस तरीक़े से मैं बार बार हर एक मेम्बर को कह रहा हूं और कहता चला जाऊं और वह पेश करते चले जायेंगे तो यह मुनासिब बात नहीं है । माननीय सदस्य ने अभी कहा कि वहां छम्ब जोनिया के रक़बे में आप को मेम्बर ने बतलाया है तो एक तो चीफ़ मिनिस्टर ने उसको कंट्रैडिक्ट किया है और दूसरे अभी डिफैंस मिनिस्टर ने उसका कंट्रैडिक्शन किया है और कहा है कि उस में कोई बुनियाद नहीं है और वह ग़लत बात है तो मैं अब कैसे इसकी इजाज़त दे सकता हूं जो आप बराबर उठाते चले जा रहे हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : वहां के क्षेत्र के एम० एल० ए० का तार आया है और वह तार भी मैं ने आपको भेजा है . . .

अध्यक्ष महोदय : आडर, आर्डर ।

श्री किशन पटनायक : बिहार में संविधान टूट गया है और वहां कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए गुंडों को इस्तेमाल किया जा रहा है . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

12 hrs.

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री सुब्रह्मण्यम के खिलाफ़ मैं ने एरक विशेषाधिकार का प्रस्ताव किया था . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं आप के बगैर कहे हुए ही यह कहने वाला था कि आप ने मुझे जो विशेषाधिकार . . .

श्री मधु लिमये : अब मैं ने क्या पाप किया है कि जो आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनना ही नहीं चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बात मेरी सुन लीजिये ।

श्री मधु लिमये : आप जो कुछ भी कहना हो बाद में कहियेगा । मैं ने एक प्वाएंट औफ़ आर्डर रक्खा है पहले उसे सुन लीजिये । सब को आप सुनेंगे, केवल मेरे लिए कोई नियम है कि इन को नहीं सुना जायगा ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय को डांट रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : कौन डांट रहा है ? मैं नहीं डांट रहा हूं, डांट तो आप रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब डांट को रहने दीजिये । मुझे यह अफसोस है कि जो मैम्बर सब से ज्यादा अपौरचुनिटीज़ लेता है . . . .

श्री मधु लिमये : मैं मेहनत कर के मौक़े पाता हू । किसी की दया से नहीं । और न मेरे ऊपर कोई मेहरबानी कर रहा है । 16 घंटे काम करता हूं तब मुझे मौक़ा मिलता है, कोई मेहरबानी मुझ पर नहीं कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मेहरबानी कैसी और किस लिए ? मेहरबानी का यहां कोई सवाल नहीं है । मैम्बर्स को अपने अपने राइट्स लेने हैं। मेहरबानी का कोई सवाल नहीं है।

श्री मधु लिमये : बार बार यह क्यों कहते हैं कि मुझे मौके मिलते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मौके आप को मिलते हैं सिर्फ इतना कहने से आप क्यों उन पर नाराज होते हैं ? व्यवस्था का प्रश्न कैसे मैं मान लूं ? मैंने आप से कहा कि मेरी बात सुनिये उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाना, यदि आप आवश्यक समझें तो मैं आप को सुन लूंगा लेकिन, आप हैं कि आपे से बाहर, होते चले जा रहे हैं ।

मैं ने यह कहा है कि आप ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है उस पर कुछ कहने के पहले मेरी बात सुन लें कि आया उसके सम्बन्ध में है . . .

श्री मधु लिमये : हां उसके सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का प्रस्ताव आप ने लिख कर भेजा है उसमें आप ने यह नहीं लिखा है कि कौन सा विशेषाधिकार है जोकि इस में भंग हुआ है ? पहले मुझे यह लिख दीजिये फिर मैं आप को इसके उठाने की इजाजत दे दूंगा । यह बतलाइये कि कौन सा विशेषाधिकार भंग हुआ है ?

What is the privilege enjoyed by a Member or the House, that has been breached? If there is any such privilege which has been breached, then I shall certainly allow the hon. Member; and if I feel that there is a privilege which has been breached, then I shall allow him to raise that point.

श्री मधु लिमये : आप ने ठीक ही पूछा कि मेम्बर को बतलाना चाहिये कि सदस्य का, सदन का या सदन की किसी कमेटी का कौन सा विशेषाधिकार भंग हुआ है । अब मेरी यह राय है और मैं ने लिख कर भेजा है, इस प्रस्ताव में भी मैं ने साफ साफ कह दिया है कि सदन के सदस्यों के इस विशेषाधिकार का भंग हुआ है । उसी के बारे में आप मुझे अर्ज करने दीजिये क्योंकि मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कौन सा विशेषाधिकार है ।

श्री मधु लिमये : मैं बतला रहा हूं ।

आप जानते हैं कि श्री शचीन्द्र चौधरी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में राज्य सभा में जो वक्तव्य दिया था और यहां भी जो वक्तव्य दिया था उस को ले कर मैं ने एक विशेषाधिकार का सवाल उठाया था । श्री शचीन्द्र चौधरी की बात को मैं ने ध्यान से सुना है । इस सम्बन्ध में मैं चार बातें अर्ज करना चाहता था । उनको मैं ने पत्र के द्वारा लिखा है । वह पूरी नहीं हो पाई हैं सदन में इसलिये मैं चैम्बर में आप से मिल कर उन को पेश करूंगा ।

5 तारीख को जैसी मैं ने आप को पहले नोटिस दी थी, मैं मोरारका साहब से चार या पांच प्रश्न पूछना चाहता था । जब मैं ने नियम की ओर संकेत किया तो आप ने मुझे इजाजत दी और श्री मोरारका ने जवाब दिया । उस वक्त श्री सुब्रह्मण्यम के बारे में जो मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव था उसके लिये आप ने कहा कि उसे अलग से लेंगे, मैं सवाल पूछूं । सवाल का जो जवाब आया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो 55वीं रिपोर्ट आई है उसके आधार पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कौन सा विशेषाधिकार टूटा है ।

यह पी० ए० सी० दोनों सदनों की कमेटी है । उसके जिम्मे कोई काम सौंपा गया है । वह अपनी रिपोर्ट देती है । यह परम्परा से चला आया निर्णय है कि उस रिपोर्ट के खंडन करने का या उसके खिलाफ बोलने का काम कोई भी सरकारी प्रवक्ता या मंत्री न करे । इस के विपरीत जब यहां 17 तारीख को सवाल पूछा गया कि किस मंत्री का उस में नाम है, कौन है वह मंत्री, तो मंत्रियों के बीच में फ्री स्टाइल कुश्ती हो गई । आप जानते हैं कि श्री त्रि० ना० सिंह ने कहा कि वह मंत्री मैं नहीं हूं, श्री सुब्रह्मण्यम हैं और श्री सुब्रह्मण्यम कहते हैं कि वह मंत्री मैं नहीं हूं । 18 तारीख को श्री सुब्रह्मण्यम ने अपनी गलती को स्वीकार किया । उसके लिये खेद भी प्रकट किया और उस वक्त उन्होंने एक लम्बा बयान दिया । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने और पी० ए० सी० के कई सदस्यों ने उस पर आक्षेप उठाया कि उनको यह लम्बा बयान नहीं देने देना चाहिये था । मैं ने यह ऐतराज किया था कि उन्होंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के नाम पर यह बयान दिया था । व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये जो नियम हैं उनकी ओर मैं आप का ध्यान खींचना चाहता हूं । आप जरा 357 को देख लीजिये ।

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): What is it that the wants to say? He is taking the time of the House.

श्री मधु लिमये : अभी आप को पता चलेगा, आप को थोड़ी सी सहिष्णुता दिखलानी चाहिये । इसमें लिखा है :

> ".....A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate to shall arise".

अब इस धारा में मिनिस्टर साहब बयान देते हैं, और न केवल विवाद वाला बल्कि भयानक विवाद वाला एक मसला छेड़ देते हैं । वह पी० ए० सी० के बारे में आरोप लगाते हैं कि उनके सामने सारी सामग्री नहीं थी । इसके बाद जी पी० ए० सी० की 55वीं रिपोर्ट है उसको भी आप देख लीजिये । यह पृष्ठ हैं 21 और 25 । 21 में श्री सुब्रह्मण्यम कहते हैं :

55th report, pages 21 and 25

> "These materials were not placed before the P.A.C. Let them go before the P.A.C."

और फिर पृष्ठ 25 पर कहते हैं :

> "I was never given an opportunity to appear before the PAC as far as this matter is concerned. It was said that if Ministers want to make certain observations, the option is given to the Minister to appear himself or through the Secretary. I am not aware that this point was being considered by the PAC at any time. Otherwise, I would have certainly placed all these things before the Committee."

अब तक की परम्पराओं के विपरीत, उनके साथ कोई अन्याय न हो, इसलिये आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल कर के कहा कि इसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दुबारा विचार करे । चूंकि यह आपका फैसला था इसलिये हालांकि कई सदस्यों को अच्छा नहीं लगा तब भी आपकी इज्जत करने के लिये, आप का आदर करने के लिये सदन ने और सदस्यों ने इसे स्वीकार किया ।

इसके बाद कमेटी की बैठक हुई । उसकी नोटिस लोक-सभा के बुलेटिन भाग 2 में निकलती है । मंत्री महोदय स्वयम् कह रहे हैं कि उनको सूना नहीं गया । तब फिर उनका यह कर्त्तव्य था कि वह चेअरमैन, पी० ए० सी० से मिलते और उनसे पूछते कि

[श्री मधु लिमये]

वह कब बैठक कर रहे हैं । वह भी उन्होंने नहीं किया । लोकसभा के बुलेटिन में जो खबर छपी उसका भी उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया और इतना तुच्छ व्यवहार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ किया कि 26 जुलाई को जो आपके द्वारा रिफरेंस किया गया था और आप ने कमेटी की बैठक करने के लिये अन्तिम निर्णय लिया था, उस वक्त तक मंत्री महोदय ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की जब कि उनके कहने पर, उनकी मांग पर आज तक की परम्पराओं के विपरीत आप ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके यह रिफरेंस किया था । मंत्री महोदय का फर्ज था कि अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो वे कमेटी के सामने जाते । वह खुद तो गये नहीं । नोटिस छपती है । उसका भी उन्होंने कोई खयाल नहीं किया । उसके पश्चात् उनको किसी तरह से पता चला कि कमेटी का ऐसा फैसला हुआ है । आप पूछेंगे कि कैसे मुझे को यह मालूम हुआ । तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में मैंने सवाल पूछा था । यह प्रोसीडिंग्स छापी नहीं गई हैं । मेरी मांग है कि इस बात को भी छापा जाये और परिचालित किया जाये ।

पी० ए० सी० बैठक की कार्यवाही का भाग 2 क्या कहता है इस पर समिति ने पूछा था कि आप को कैसे पता चला कि हमारा फैसला हो चुका है । क्या आप को पता चला कि अन्तिम निर्णय हुआ था । वह कहते हैं कि अन्तिम निर्णय तो मैं नहीं जानता था कि हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कोई दो निर्णय नहीं होते, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने अपने आर्डर के बारे में कहा है कि वह ड्राफ्ट आर्डर था फाइनल आर्डर नहीं । कमेटी की जो रिपोर्ट होती है वह अन्तिम होती है । वह कहते हैं कि जैसा कोई अस्थायी या टेन्टेटिव निर्णय हुआ करता है । मैं अन्तिम निर्णय के बारे म कुछ नहीं जानता था । यह बात पब्लिक अकाउंटस कमेटी के निवेदन के दूसरे हिस्से में साफ आ गई है कि उनको किसी तरह से पता चला । उस दिन भी श्री मोरारका ने कहा कि मैं नहीं जानता कि उन्हें किस तरह से पता चला । यह पता चला 26 जुलाई को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला हो चुका है । तब वह खत लिखते हैं । आप उसकी तारीख याद रखिये । 26 तारीख को 55वीं रिपोर्ट दी जाती है पी० ए० सी० के निर्णय की और 27 तारीख को मंत्री महोदय कमेटी को लिखते हैं । मोरारका साहब को यह लगा कि यह अच्छा नहीं है, तब आपकी भी सलाह ली गई । तब आप ने इनायत की दृष्टि से देखा और पहले की हमारी परम्पराओं के और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इज्जत के बखिलाफ उनका व्यवहार होते हुए भी उन पर मेहरबानी कर के फिर उन्हें मौका दिया कि वह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जायें । इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है । बिल्कुल परम्परा के विपरीत काम हुआ है और यह जाते हैं । जाने के बाद क्या निर्णय होता है इस पर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

अब मैं बतलाता हूं कि कौन सा विशेषाधिकार भंग हुआ है । पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के तीन वाक्य हैं जिनको पढ़ कर मैं यहां पर सुनाने वाला हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप . . . .

श्री मधु लिमये : मैं कारण बतला रहा हूं । मैं कारण देना चाहता हूं कि किस तरह से विशेषाधिकार का भंग हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर सारी कार्रवाई बताने की जरूरत नहीं है ।

श्री मधु लिमये : एक तो असत्य भाषण । उन्होंने यहां कहा कि मैंने जो आर्डर पास किया था या नोटिंग किया था वह मस्विदे की शक्ल में था । फाइनल आर्डर नहीं था, ड्राफ्ट आर्डर था । अब सेक्रेटरी साहब

कमेटी के सामने कहते हैं :

"There was a slight or minor error in the Minister's statement......"

अध्यक्ष महोदय : डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आप ने कहा कि असत्य भाषण . . .

श्री मधु लिमये : उन्होंने कहा कि मस्विदा अन्तिम नहीं था। मैं केवल पब्लिक अकांउट्स कमेटी की रिपोर्ट का परिच्छेद बतला रहा हूं। 1.17 में सुब्रह्मण्यम साहब स्वयम् कहते हैं कि वक्तव्य में गलती थी और मेरी यह धारणा थी कि अन्तिम आर्डर था। मस्विदा रिपोर्ट में दर्म्यानि अर्से के लिये था, यह बात नहीं थी। मैं पब्लिक अकांउट्स कमेटी के एक वाक्य को पढ़ूंगा :

"1.17. It is significant to note that the orders of the Minister dated 28th June, 1963 were specific, complete and final and they were conveyed to the Iron and Steel Controller as such on 29th June, 1963. In view of the above facts, the Committee are unable to accept that these order were 'in a draft form'."

यह साफ़ है, काले अक्षरों में है। मंत्री महोदय का एक-वाक्य मैंने अपने प्रस्ताव में दिया है। आपने पूछा है कि क्या विशेषाधिकार टूटा है ? इन्होंने पी० ए० सी० के खिलाफ़ 18 मई को यह आरोप लगाया है, यह इनसिनुएशन किया है :

"It is rather surprising to me that an observation should have been made suggesting that I had reconsidered certain orders without adequate reason."

इसके बारे में कमेटी कहती है कि असंगत बात है। एक दफा कहते हैं कि ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री के कहने पर, फिर खुद कहते हैं कि उन्होंने रिपेंटेंस किया, पश्चाताप किया यानी अमीन चन्द प्यारे लाल ने। क्या कभी इन लोगों को पछतावा हो सकता है ? फिर भी मंत्री महोदय ने कहा है कि इनको पछतावा हुआ है, इसलिए आर्डर बदला। अब कमेटी कहती है कि इसमें असंगति है, रीज़न आबसक्योर है। आबसक्योर रीज़न का मतलब तो बहुत ज्यादा हुआ करता है। दांडेकर साहब उसके बारे में कुछ कहेंगे, मैं नहीं बोलता हूं। यह बहुत ही गम्भीर आरोप है जोकि पी० ए० सी० की ओर से उनके बारे में किया गया है। आखिर में पी० ए० सी० कहती है 18 मई को उनके इस वाक्य के बारे में कि . . .

"It is rather surprising."

क्या सरप्राइज़िंग है भाई। यह कमेटी कहती है काले शब्दों में :

"In view of the above facts, the Committee feel that the above observation of the Minister was rather unfortunate.".

मैं इस कमेटी को एक दृष्टि से बधाई भी देता हूं क्योंकि यह बात सौम्य, सौम्यतर, सौम्यतम शब्दों में अपनी रिपोर्ट में इन्होंने लिखी है। मेरे जैसा आदमी होता तो शायद दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करता। मगर मैं कमेटी को धन्यवाद और बधाई देता हूं इस काम के लिए, व्यक्ति चाहे जो भी बोले कमेटी की बात अलग है। उस दिन मुझे धन्यवाद और बधाई देने का वक्त नहीं मिला था।

अब मैं यह कहूं कि पी० ए० सी० की पचासवीं रिपोर्ट में और इसमें जब सारी बातें आती हैं तो उसके आधार पर जितने इस्पात मंत्री हुए हैं उनकी, दो तीन स्टील सैक्रेटरी हुए हैं, तीन स्टील कंट्रोलर हुए हैं उनकी—मैं नाम नहीं लेता हूं क्योंकि दाण्डेकर जी नाराज़ हो जायेंगे—तथा दूसरे जो छोटे अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिये और पता लगना चाहिये कि इनकी अलग-अलग जिम्मेदारियां क्या हैं। इसका कारण यह है कि इसका भी मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मंत्री लोग हमेशा भाग जाते हैं और किसी न किसी अफसर को वे सूली पर

[श्री मधु लिमये]

चढ़ाते हैं, सैंक्रिफाइस कर देते हैं । वे बच निकलते हैं । इस परम्परा को खत्म करने के लिए भी मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक निष्पक्ष जांच समिति बनाई जाये जो जांच वाला कानून है उसके मातहत । पी० ए० सी० ने भी कहा है कि जांच समिति नियुक्त की जाये, लेकिन वह एक अलग बात है । यह जो 55वीं रिपोर्ट है यह इसलिए करनी पड़ी है कि खुद सुब्रह्मण्यम् साहब ने यह मामला छेड़ा था । मैंने छेड़ा होता तो मैं केवल जांच समिति कहता । हर एक की जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिये । खुद उन्होंने परम्परा के खिलाफ जाकर मामला छेड़ा और आपने इनायत नजर से देखा और यह मामला पी० ए० सी० के सामने भेजा । वह नहीं आये । बार-बार आपने मौका दिया कि वह स्टेटमेंट करें । 27 जुलाई को पत्र आया । कमेटी ने फिर उनको सुना और उसके पश्चात् कमेटी का जो निष्कर्ष है वह आपके सामने है । इस वक्त सुब्रह्मण्यम साहब यहां नहीं हैं । सदन के नेता और प्रधान मंत्री यहां हैं । उनसे मैं यह विनय करूंगा, यह अर्ज करूंगा कि मेरी बात उनके कानों तक वे पहुंचा दें कि इस रिपोर्ट के बाद जोकि उनके कहने पर कमेटी को देनी पड़ी है—नहीं तो इस रिपोर्ट को देने की कोई आवश्यकता नहीं थी—इनके खिलाफ जो लांछन कमेटी ने लगाये हैं उनको देखते हुए कोई भी स्वाभिमानी आदमी एक सैकिंड के लिए भी मंत्री नहीं रह सकता है, उसको मंत्री पद से हट जाना चाहिये । सदन की जो परम्परायें हैं, पी० ए० सी० की जो परम्परायें है और हमारे जो विशेषाधिकार हैं संविधान की धारा 105 के अन्तर्गत और जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं और पढ़ कर आपको बतलाना चाहता हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं ।

श्री मधु लिमये : सदस्य नहीं जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भी जानते हैं ।

श्री मधु लिमये : हर एक सदस्य नहीं जानता है । आप मुझे धारा को पढ़ने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस धारा को पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री मधु लिमये : मैं खत्म कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कह लिया है आपने ।

श्री मधु लिमये : आखिरी बात कह देता हूं ।

हमारी जो परम्परायें हैं उनकी रक्षा करने के लिए और पी० ए० सी० की इज्जत को बचाने के लिए अगर आप स्वेच्छा से हट जाते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर बहस प्रस्ताव और प्रिवलेज मोशन के जरिये ही करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं ।

Shri Surendranath Dwivedy: (Kendrapara): You have to decide the point of privilege, but what I want to urge is this. We are happy that you annuounced that day that after the report of the Public Accounts Committee if a notice is given on a specific matter, it could be discussed. The Fifty-fifth Report of the Public Accounts Committee not only reveals the default of Mr. Subramaniam, but it reveals that probably in this affair two Ministers, two Iron and Steel Controllers and the Secretary of the Iron and Steel Ministry are deeply involved. This is a very grave matter. Therefore, I would request you, and the Government should agree, - have already given a notice, to allow this report to be discussed in the House as early as possible, because it

is fair, after this report, to demand the resignation of this Minister, at the same time some other Ministers are also involved. Therefore, let the report be taken into consideration.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): It should be discussed before Indepedence Day.

श्री मधु लिमये : विशेषाधिकार सम्बन्धी सवाल ही इस वक्त है । द्विवेदी जी का जो सुझाव है वह अच्छा है । उसको बाद में लिया जा सकता है । पहले विशेषाधिकार भंग के बारे में आप अपना निर्णय दें ।

अध्यक्ष महोदय विशेषाधिकार के अलावा आपने दूसरे सवाल छेड़े हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिये, इनको छोड़ देना चाहिये । आपको इन दूसरी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिये था . . .

श्री मधु लिमये : स्वाभिमान नहीं है तो न दें और अगर है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : किसी वक्त आप इजाजत भी देंगे मुझे कहने की ?

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha): Is it not surprising that the Minister continues like this after the PAC report? Are they going to keep him in the Ministry?

Mr. Speaker: So far as this PAC report is concerned, I have received notices that this should be discussed. I have admitted one notice. That was all that I could do.

Shri Hari Vishnu Kamath: Government should find time.

Mr. Speaker: I have admitted that notice because I though it was important.

श्री मधु लिमये : किस का नोटिस है । मैंने सबसे पहले दिया है । मुझ से पहले किसी ने नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस किसका पहले है मुझे पता नहीं है और न मैं कह सकता हूं । नोटिस आफिस में जा कर आप देख सकते हैं ।

श्री मधु लिमये : देख कर तो कह रहा हूं । मेरा पहले का है । मैंने पहले नोटिस दी है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझ को वक्त याद है कि किस ने किस वक्त दिया है । मैंने नोटिस एडमिट किया है । हर वक्त मुझ पर इस बात का दबाव . . .

श्री मधु लिमये : कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं । मैं जानकारी चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : किस वक्त दिया, क्या लिखा हुआ है, क्या यह सब मैं जानकारी दे सकता हूं इस तरह से इस वक्त ? अजीब बात है ।

इन्होंने बहुत जोर दिया है इस बात पर कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिये । जहां तक इस्तीफे का सम्बन्ध है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है । मुझे नोटिस मिले हैं और मैंने एडमिट किये हैं । जहां तक प्वाइंट आफ टाइम का सम्बन्ध है वह रिसीट पर होगा और उसके मुताबिक नाम रखे जायेंगे । जिस समय नोटिस आता है वह समय भी उस पर लिख दिया जाता है नोटिस आफिस में ।

श्री मधु लिमये : वह मैं जानता हूं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जितनी बहस की गई है उसमें कोई भी बात नहीं बताई गई है कि यह प्रिवलेज हाउस का है या यह जो चीज है यह भंग हुई है । एक तो ज्यादा जोर इस पर दिया गया है . . . .

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): You kindly allow us to say.

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी बाबत मुझे आज सुबह टेलीफोन मिल चुका है । मैं चाहता था कि यह चीज़ सुब्रह्मण्यम साहब की हाज़िरी में पेश हो ।

श्री मधु लिमये : वह जवाब दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : किसी को बोलने भी देंगे । कोई हद भी होनी चाहिये । किसी वक्त आदमी को खामोश भी होना चाहिये ।

सुब्रह्मण्यम साहब का मुझे सुबह टेलीफोन आया था । वह कहीं बाहर गये हुए थे । वह वापिस आ रहे थे कि आज कहीं रास्ते में किसी गुड्ज़ ट्रेन का डीरेलमेंट हो गया और उनकी गाड़ी आगे नहीं आ सकी । वह दिल्ली हो गई है । इसलिए जहां तक उस बात का ताल्लुक है अभी तक मुझे उन्होंने बताया नहीं है । लेकिन वह लिखना चाहें तो वह भी मुझे लिख दें । मैं सुब्रह्मण्यम साहब को सुन लूंगा ।

एक बात उन्होंने यह कही है कि मैंने तमाम ट्रेडीशंज़ को तोड़ कर उनको इजाज़त दे दी और कह दिया कि मिनिस्टर वहां पेश हो जायें . . .

श्री मधु लिमये : तोड़ कर नहीं कहा । आपने इनायत की, यह कहा है ।

अध्यक्ष महोदय: आपने साफ कहा है कि जो ट्रेडीशंज़ हैं या जो परम्परायें हैं उनके खिलाफ जा कर . . .

श्री मधु लिमये : तोड़ मे बहुत फर्क होता है । तोड़ में आरोप होता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह इस हाउस की कोशिश रही है कि पी० ए० सी० की रिपोर्ट को जितनी मान्यता हो सके दी जाये और कभी ऐसा कोई झगड़ा यहां न छेड़ा जाये जोकि मिनिस्ट्री और पी० ए० सी० की रिपोर्ट में हो ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) अब तो वह आ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इसी लिए तो मैं ने इस पर बहस की इजाज़त दे दी है । मैं ने मिनिस्टर साहब को इजाज़त दी थी, उनको सलाह दी थी कि वह कमेटी के सामने पेश हो जायें, ताकि यह सवाल न पैदा हो कि उनको सुना नहीं गया और चूंकि उनको सुना नहीं गया है, इस लिए यह रिपोर्ट एक तरफा है । मिनिस्टर साहब को सुनने के बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, वह हाउस के सामने है । इस बारे में मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है कि बार-बार यह कहा जाये कि मैंने कोई मेहरबानी कर दी है । आम तौर पर कमेटी के सामने मिनिस्टर पेश नहीं होते हैं, सेक्रेटरी और दूसरे अफ़सर जाते हैं । मगर जब कोई मिनिस्टर कहे कि मेरा केस नहीं सुना गया है या उन को मौका नहीं मिला है, तो मैंने समझा कि पी० ए० सी० की रिपोर्ट को और ज्यादा महत्ता देने के लिए यह ज़रूरी है कि वह जो कुछ कहना चाहते हैं, कह लें और उसके बाद पी० ए० सी० अपनी रिपोर्ट दे दे । यह सब कुछ इस लिये किया गया कि पी० ए० सी० की इज्जत और ज्यादा हो । इस लिए मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, कोई बुराई नहीं हुई है । मैं समझता हूं कि यह अच्छा ही हुआ है । मैं अब भी इस बात पर यकीन रखता हूं कि मैंने जो कुछ किया, वह अच्छा किया और वही करना चाहिए था, ताकि मिनिस्टर साहब को शिकायत न रहे । मैंने इस बारे में बहस की इजाज़त दे दी है । हाउस ने रिपोर्ट के बारे में क्या फ़ैसला लेना है, या गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला लेना है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री दाजी (इन्दौर) जनाब, पी० ए० सी० की प्रैस्टीज़ इस हाउस की प्रैस्टीज़ मानी जाती है और कमेटी के प्रिविलेजिज़

इस हाउस के प्रिविलेजिज़ माने जाते हैं । इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस से साफ़ है कि--

Mr. Subramaniam to say the least is guilty of *suppressio veri suggestio falsi;* this is the immediate guilt brought home against him; we may also say that he deliberately misled the House and the Committee. If we do not go that far, the gravamen of the charge immediately would be that he is guilty of *suggestio falsi, suppressio veri*.... .... ..

अध्यक्ष महोदय : : मिनिस्टर साहब कल आयेंगे और मैं उनको सुनूंगा । मैं तब देखूंगा कि क्या मैं अपनी कनमेन्ट दे सकता हूं या नहीं ।

श्री दाजी : आप उनको भी सुनिए और हमें भी सुनिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : आपने प्रिविलेज मोशन के बारे में पायंट्स मांगे हैं, जो कि एक माननीय सदस्य ने आपके सामने रखे हैं । आप पार्लियामेंट में इस पर बहस की इजाजत इस लिए नहीं दे रहे हैं कि सुब्रह्मण्यम साहब यहां पर नहीं हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अखबारों में यह निकल चुका है कि **पी० ए० सी० रिपोर्ट डिस्कशन बाई दी कैबिनेट टुडे** । 7 अगस्त को कैबिनेट ने इस बारे में डिस्कशन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस से मेरा क्या ताल्लुक है ?

श्री स० मो० बनर्जी : आप नाराज़ न हों । आप मेरी बात सुन लीजिए । श्री सुब्रह्मण्यम और श्री वृथलिंगम के बारे में पी० ए० सी० की रिपोर्ट की चर्चा शुरु होने के बाद अमीचन्द प्यारेलाल के आदमी दिल्ली में इस तरीके से घूम रहे हैं और इतना ज्यादा प्रैशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फ़ौरन इस बारे में बहस नहीं होती है, तो वह सारा मामला दबा दिया जायेगा । उनको मालूम है कि उनकी किताबें सरकार ने पकड़ी हैं । इस मामले में एक सुब्रह्मण्यम साहब नहीं बल्कि और बहुत से सुब्रह्मण्यम साहब जैसे हिन्दुस्तान के बहुत बड़े बड़े आदमी इन्वाल्व्ड हैं । गवर्नमेंट पर इतना ज्यादा प्रैशर पड़ रहा है--अखबारों में निकला है कि कांग्रेस के मेम्बरों ने भी इस बारे में चिन्ता प्रकट की है--कि मझे खतरा है कि बाद में कहीं ऐसा न हो कि इस सदन में बहस बेकार हो जाये और सारे मामले को दबा दिया जाये । मुंदड़ा कांड और दूसरे कांड हमारे सामने हैं । इस वक्त अमीचन्द प्यारेलाल देश में मुंदड़ा ही बने हुए हैं ।

Shri Hem Barua (Gauhati): Because of the involvement of the Food Minister in such a dirty and scandalous affair, as pointed out by the PAC, why is it that the hon. Prime Minister does not ask the Food and Agriculture Minister to resign to set up high moral standards in public life?

Mr. Speaker: That is not my business.

डा० राम मनोहर लोहिया (फ़र्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सब से पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि मंत्री महोदय ने दो काम किये हैं, जो विशेषाधिकार के अन्दर आ जाते हैं : एक तो असत्य बोलना और दूसरा मंत्री पद के सम्बन्ध में अपराध करना । एक असत्य तो उन्होंने यह बोला है कि उन्होंने कमेटी के सामने जाकर भी यह नहीं बताया कि वह सेठ, जिस के हक में उन्होंने हुकम निकाला था, उन से मिल चुका था । यह बात उन्होंने दबा दी थी । यह बात कमेटी को किसी और तरह से मालूम हुई हो, तो मालूम हुई हो, लेकिन मंत्री महोदय ने यह बात नहीं बताई । जब कोई इतना बड़ा गवाह कमेटी के सामने जाये और पूरी बात न बता कर के, एक बात, जो इतनी ज़बर्दस्त है कि वह सेठ, जिस ने अपराध किया है, उन से मिल चुका था, न बताए, तो यह बिल्कुल असत्य-वादन हो जाता है ।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

यह तो सेठ के सम्बन्ध में है । दूसरे, नौकरशाह के सम्बन्ध भी उन्होंने असत्य-वादन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह ड्राफ्ट आर्डर है, जब कि बाद में पता चला कि वह आर्डर था ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कम्पलीट आर्डर ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ड्राफ्ट आर्डर या कम्पलीट आर्डर, मतलब यह कि वह आर्डर था । यह असत्यवादन हो गया ।

मंत्री, नौकरशाह और सेठों का जो एक तिगुट्टा इस वक्त मुल्क में चल रहा है, जिसके कारण देश का पैसा, खेती और कारखाने बर्बाद हो रहे हैं, अगर वह इस मामले में साफ़ नहीं होता है, तो किस से होता है । यह विशेषाधिकार का सवाल फ़ौरन, इसी वक्त, आ जाना चाहिए । जैसा कि श्री बनर्जी ने कहा है, बहुत से मंत्री इसमें शामिल हैं, लेकिन मुझे इस वक्त यही कहना है कि ताज़ीराते-हिन्द की चोरी, डाके और झूट वगैरह की जितनी भी दफ़ात हैं न जाने हजारों आदमी उनको तोड़ते रहते हैं, पचासों मंत्री उनको तोड़ रहे हैं । अगर उन में से कोई मंत्री गिरफ्त में आ जाता है—और वह बड़ी मुश्किल से गिरफ्त में आया है—और उसके बाद आप उसको गिरफ्त से छुड़वा दें, तो यह अच्छा नहीं होगा । अगर इस प्रश्न को किसी तरह से भी दबा दिया जाता है, तो यह उचित नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैसेज फ्राम राज्य सभा ।

13.26 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the University Grants Commission (Amendment) Bill, 1966, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd August, 1966".

13.26 hrs.

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I lay on the Table of the House the University Grants Commission (Amendment) Bill, 1966, as passed by Rajya Sabha.

13.27 hrs.

RE. QUESTION OF PRIVILEGE—*contd.*

डा० राम मनोहर लोहिया : (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बातें कर रहा हूं—मैं कोई आसमान से बातें नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो कुछ कहा है, वह रिकार्ड हो गया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह विशेषाधिकार का सवाल आप फ़ौरन ले लें । मंत्री महोदय ने असत्यवादन किया है, अपराध किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब आज यहां नहीं हैं । वह कल आयेंगे । मैं इसको फ़ौरन कैसे ले लूं ?